M.314-2000-10 लाख फा.

APP
Crll

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत कलेक्टर मुकाम बांदीकुई

गिरिराज बनाम प्रभातीलाल

मुकदमा T.I. नं० 48 सन 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27-4-24	प्रार्थीगण द्वारा विरुद्ध अप्रार्थीगण प्रा. पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा जर्ये वकील श्री विनोद कुमार विजय के इस आशय से पेश किया है कि वाके ग्राम धनावड़ तहसील बांदीकुई में स्थित भूमि साबिका ख.नं. 3/5 मिन रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा व ख.नं. 1/12 मिन रकबा 1 बीघा कुल 5 बीघा 11 बिस्वा भूमि को उक्त भूमि के खातेदार बुद्दानाथ पुत्र भूरानाथ जाति जोगी निवासी धनावड़ से प्रार्थी नं. 1, 2 के पति व प्रार्थी नं. 3,4 के पिता धम्मन ने जरिये रजिस्ट्री खरीदकर के मौके पर कब्जा प्राप्त किया था। जिस जगह पर कब्जा प्राप्त किया था उस जगह पर आज भी मौके पर प्रार्थीगण काबिज है। ग्राम धनावड़ में सेटलमेन्ट हुआ है और सेटलमेन्ट के दौरान सेटलमेन्ट वालों को पूर्व रिकॉर्ड अनुसार ही नया रिकॉर्ड कायम करना चाहिये था। लेकिन सेटलमेन्ट विभाग ने प्रार्थीगण का कब्जा मौके पर वर्तमान ख.नं. 39 रकबा 0.31 हैक्टेयर व ख. नं. 40 रकबा 1.11 हैक्टेयर पर होने के बावजूद और उक्त ख.नं. 39,40 साबिका ख.नं. 3/5 व 1/12 से बनने के बावजूद भी सेटलमेन्ट विभाग ने गलत तरीके से ख.नं. 39 रकबा 0.3100 हैक्टेयर छीतर, प्रभात्या, श्रीकिशन पिसरान सेडू, प्रभाती बेवा सेडू, चन्दो बेवा सेडू जाति मीना निवासी धनावड़ के नाम लगा दिया। इनमें से प्रभाती व चन्दो की मृत्यु हो जाने के बाद छीतर, प्रभात्या, श्रीकिशन पिसरान सेडू के नाम इन्द्राज कर दिया जो इन्द्राज गलत है जबकि वास्तव में प्रार्थीगण	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	ख.नं. 39 रकबा 0.31 हैक्टेयर व 40 रकबा 1.1100 हैक्टेयर पर मौके पर काबिज है और उक्त ख.नं. 39 व 40 ही प्रार्थीगण की खरीदशुदा साबिका ख.नं. 315 व 1/12 से बने है। प्रार्थीगण के ख.नं. 39 में पक्का कमरा बना हुआ है। तीन जगह पाटोल बनी हुई है, छप्पर बना हुआ है व विद्युत कनेक्शन हो रहा है तथा ख.नं. 39 व 40 को एक चक बना रखा है जिसके चारो ओर तारबंदी हो रही है। सेटलमेन्ट विभाग को एन्ट्री परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं था ना ही रिकॉर्ड में हेराफेरी करने का अधिकार था। उक्त गड़बड़ी प्रार्थीगण को सेटलमेन्ट विभाग द्वारा की गयी प्रार्थीगण को कतई ज्ञान नहीं था। दिनांक 6/3/2024 को प्रार्थी ख.नं. 39 पर था कि अप्रार्थी गिरिज अपनी उक्त भूमि अपने साथ अपने परिवारजन को लेकर नं. 14 लगा. 17 अपने और प्रार्थी गिरिज से कहा कि उक्त मौके पर आयी ख.नं. 39 की खातेदारी हमारे नाम है या तो उक्त भूमि को खाली कर देना अन्यथा तुम्हारे कब्जे की भूमि हम लाठी के बल से खाली करवायेंगे अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।
	हमने प्रार्थीगण वकील को सुना। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रथम दृष्ट्या प्राइमा फेसाई केस सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में होना उचित प्रतीत होता है।
	अतः अप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी तारीख पेशी तक इस आशय से प्रतिबंधित किया जाता है कि ग्राम धनाबड़ तह. बोरीकुई स्थित भूमि खसरा नं. 39 रकबा 0.31 हैक्टेयर के मौके की यथास्थिति बनाये रखें। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण जरिये T.J नोटिस/सम्मन R.C से की जाकर पत्रावली दिनांक 03/06/2024 को पेश हो।
	उपखण्ड अधिकारी बोरीकुई

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/6/24 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. साहब राजकार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी दी गई गत आदेश की पालना में दिनांक 28/6/24 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर 28/6/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। तलबी अप्रार्थीगण की जाकर दि० 24/7/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई 24/7/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं। बार-2 आवाज लगवाई गई। फिर भी हाजिर नहीं अंतिम बार शाम 5:00 P.M. पर आवाज लगवाई गई। परन्तु हाजिर नहीं। अतः प्रकरण प्रार्थीगण वकील व अप्रार्थीगण की अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] 24.7.24	

तहसील ...

14. रामोती देवी उम्र 56 वर्ष पत्नि बद्रीनारायण